अपील क्रमांक 201/बो.प्र./नि.स./2024/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /06/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 201/बो.प्र./नि.सहा./2024

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री डी.आर. यादव, प्लॉट नं.–4 सांई मंगलम के पास, विद्युत नगर दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491001 मो.नं. 7999491838	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 14.06.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री डी.आर. यादव के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2024 को प्रस्तुत आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 03.06.2024 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 14.06.2024 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे ।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि "श्री राजेश अग्रवाल की इंजी. स्नातक डिग्री की मार्कशीट, प्रोवेजनल सार्टीफिकेट एवं डिग्री प्रदान करने वाली संस्था की मान्यता के लिए अखिल भारतीय तकनीकी परिषद नई दिल्ली का प्रमाण–पत्र" की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18.04.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 29.05.2024 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 03.06.2024 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। अपील प्रकरण की परीक्षण उपरांत प्रकरण की सुनवाई दिनांक 14.06.2024 को उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 14.06.2024 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रथम अपील आवेदन में लेख किया कि जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को प्रताड़ित करने की मंशा से चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा की गई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी निःशुल्क दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र, आवक क्र. 241 दिनांक 23.04.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 24.04.2024 को प्रेषित किया गया। उक्त नस्ती स्थापना कक्ष के विभिन्न शाखाओं में परीक्षण उपरांत इस कक्ष को दिनांक 20.05.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/81/छ.ग./2024/3948, दिनांक 22.05.2024 द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित किया गया।

......2

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी जल संसाधन विभाग द्वारा धारित की जाने वाली जानकारी है ? इस संबंध में यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी **"श्री राजेश अग्रवाल की इंजी. स्नातक डिग्री की मार्कशीट, प्रोवेजनल सार्टीफिकेट एवं डिग्री प्रदान करने वाली संस्था की मान्यता के लिए अखिल भारतीय तकनीकी परिषद नई दिल्ली का प्रमाण–पत्र"** किसी संस्था (इंजीनियरिंग कालेज) की मान्यता प्रदान किये जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी परिषद नई दिल्ली का प्रमाण–पत्र या तो संबंधित संस्था में उपलब्ध हो सकता है या फिर मान्यता प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत एजेंसी में। ऐसा कोई दस्तावेज शासकीय सेवक के विभाग में धारित किये जाने वाले दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि विभाग में नियुक्त शासकीय सेवक की मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र की जांच सेवा में चयन के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय की जाती है। जहां तक ऐसी संस्था जहां से शासकीय सेवक ने अध्ययन कर डिग्री प्राप्त की हो, उस डिग्री प्रदान करने वाली संस्था की मान्यता के लिए अखिल भारतीय तकनीकी परिषद नई दिल्ली का प्रमाण–पत्र मांगे जाने की बाध्यता किसी शासकीय कार्यालय में नहीं होती वरन् मात्र किसी मान्यता प्रमाण संस्था से डिग्री किये होने की शर्त होती है। किसी शासकीय सेवक की डिग्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर विधिवत जांच किया जाकर संबंधित संस्था के संबंध में छानबीन की जाकर तद्नुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई मामला विभाग में विचाराधीन नहीं है। जहां तक श्री राजेश अग्रवाल के डिग्री प्राप्त करने की संस्था का प्रश्न है, अपील के न्यायसंगत निराकरण की दृष्टि से तत्संबंध में संबंधित शासकीय सेवक से मोबाइल पर संपर्क कर पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि उन्होंने सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान विदिशा से इंजीनियरिंग स्नाातक की उपाधि शासकीय सेवा में 1998 में आने के पूर्व ही वर्ष में 1989 में हासिल की है, जिसकी पुष्टि कार्यालय के स्थापना कक्ष में संधारित रिकार्ड से भी होती है। सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान विदिशा मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेज के रूप में लगभग 60 वर्षो से संचालित है। अतः इसके मान्यता प्रमाण पत्र के सबंध में संबंधित जन सूचना अधिकारी से ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

6. अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना अपेक्षित है जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना को एकत्र किया जाना भी सूचना सृजन अंतर्गत आता है जो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में किसी अन्य संस्था द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र चाहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम में जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह आवेदक को उनके द्वारा वांछित जानकारी, अन्य लोक प्राधिकारी से संकलित कर प्रदान करे। वरन् कार्यालय में लोक प्राधिकारी द्वारा धारित स्वरूप में उपलब्ध जानकारी ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जा सकती है। **अधिनियम की धारा 2 (च) के अनुसार "सूचना" का अर्थ "किसी भी रूप में कोई भी सामग्री" है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नागरिक को लोक प्राधिकरण से ऐसी "सामग्री" प्राप्त करने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है।** अतः अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी इस कार्यालय लोक प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में उपलब्ध नहीं होने संबंधी जानकारी आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में ही अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी ने कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275 / 81 / छ.ग. / 2024 / 3948, दिनांक 22.05.2024 द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित कर अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत कार्यवाही की है।

......3

8. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी इस कार्यालय लोक प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में उपलब्ध नहीं होने संबंधी जानकारी आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में ही अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/81/छ.ग./2024/3948, दि. 22.05.2024 द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित कर अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत कार्यवाही की है। अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/–

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./201/बो.प्र./नि.स./2024/4805 **रायपुर, दिनांक 14 /6/2024**

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डी. आर. यादव, प्लॉट नं.–4, सांई मंगलम के पास, विद्युत नगर दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन 491001 मो.नं. 7999491838 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

MIS 14/06/2024

14/06/2024

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

14/06